



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 08.11.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/2024 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा 02 वांछित अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 07.11.2024 वादिया ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ समय करीब 17.00 बजे कोतवाली मंडी मे भैंस चरा रही थी तथा अपनी पुत्री को वहीं पर छोडकर किसी काम के लिये ग्राम झलरी चली गई । इसी बीच 03 लडकों द्वारा लोहा आदि कबाड दिलाने के बहाने से वादिया की पुत्री के साथ यौन उत्पीडन की घटना कारित की गयी एवं वादिया की पुत्री के शोर मचाने पर तीनों लडके वहां से भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना



कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 247/2024 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है । पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जो स्वस्थ है । पीडिता के कथनानुसार थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये आरोपी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया, जिसको बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किशोर न्यायालय में पेश किया गया ।

स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/24 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट में 02 वांछित अभियुक्तगण 1- जुनैद (20 वर्ष) पुत्र अबरार निवासी मौ0 कुरैशीयान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2- विशाल (18 वर्ष) पुत्र अंजार निवासी मौ0 रहमुल्ला कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- जुनैद (20 वर्ष) पुत्र अबरार निवासी मौ0 कुरैशीयान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2- विशाल (18 वर्ष) पुत्र अंजार निवासी मौ0 रहमुल्ला कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3- बाल अपचारी

पुलिस टीम का विवरण –

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी विकास थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी नीटू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक- 08.11.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी किए गए सोलर केबिल के तार व घटना में प्रयुक्त उपकरण सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.10.2024 को वादी अमरजीत सिंह पुत्र सहदेव सिंह निवासी ग्राम पौटा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर सूचना दी कि दिनांक 13.10.2024 की रात्रि समय करीब 20.30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम पण्डिया मे सरकारी पानी की टंकी पर सोलर पैनल के तार काटकर काट व तोड़ दिये हैं । तहरीर के आधार पर थाना मु0अ0सं0 409/2024 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 26.10.2024 को वादी नितिश कुमार पुत्र गुणप्रकाश निवासी ग्राम राहूंगली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम राहूंगली में बनी पानी की टंकी पर लगे सोलर पैनल के तार काटकर चोरी कर लिये हैं । तहरीर के आधार थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 423/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों मे प्रकाश में आए अभियुक्तों 1.मौ0 फिरोज पुत्र अब्दुल लतीफ व 2.सन्नी उर्फ शादाब पुत्र करीमुद्दीन निवासी मौ0 युसुफनगर ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को दोनों अभियोगों से संबंधित चोरी गये माल 02 किलो सोलर केबिल के तार (सम्बन्धित मु0अ0सं0 423/2024), लाल सफेद रंग के कट्टे में 02 किलो सोलर केबिल के तार (सम्बन्धित मु0अ0सं0 409/2024) व तार काटने के औजार, एक आरी का ब्लेड व लोहे का प्लास सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.मौ0 फिरोज पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मौ0 युसुफनगर ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.सन्नी उर्फ शादाब पुत्र करीमुद्दीन निवासी मौ0 युसुफनगर ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

04 किलो सोलर केबिल के तार काटने के औजार

आपराधिक इतिहास फिरोज उपरोक्त-

मु0अ0सं0 381/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 97/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 479/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 409/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 423/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास सन्नी उर्फ शादाब उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 409/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 423/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.का0 387 परमवीर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक- 08.11.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को अवैध शस्त्र सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.11.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाल अपचारी को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । इस सम्बंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 313/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर ।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 142 मुनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 628 आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 08.11.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.11.2024 को वादिया फूलवती पत्नि स्व0 राजवीर सिंह नि0 ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त गण 1. विकास पुत्र वीरेन्द्र 2. विकुल पुत्र वीरेन्द्र 3. वीरेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी गण ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र धीरेन्द्र व पौत्र आकर्षित उर्फ गोल्डी के साथ एक राय होकर लोहे की रोड व फावड़े से हमला करते हुये मारपीट की जिससे उनको चोट आयी है तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. विकास पुत्र वीरेन्द्र 2. विकुल पुत्र वीरेन्द्र निवासी गण ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा व एक राड़ सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विकास पुत्र वीरेन्द्र नि0 ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. विकुल पुत्र वीरेन्द्र नि0 ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा व एक राड़

आपराधिक इतिहास विकास उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-58/2023 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-293/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास विकुल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-58/2023 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. . मु0अ0सं0-293/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 312 किशन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 251 अशोक कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर